न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 35/2018 (2018/00087) वाद पत्र

1. लादुलाल उर्फ हजारी आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मदनलाल आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भगवती पुत्री किशनलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. किशन आत्मज रामू ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा हाल निवासी टीपुनाड़ी तहसील सहाड़ा जिलाभीलवाड़ा
2. नारायणी पुत्री रामू ब्राहम्ण पत्नि मांगीलाल हाल निवासी टीपुनाड़ी तहसील सहाड़ा जिलाभीलवाड़ा
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबन्धक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 53 रा0 टि0 एक्ट

उपस्थित
1.—हरिश टेलर — अधिवक्ता वादीगण
2.—महेन्द्रसिंह चुण्डावत — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 28.11.2019

उक्त प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ह कि वादीगण के दादा व प्रतिवागण संख्या 1 व 2 के पिता रामू आत्मज एंकलिग जी ब्राहम्ण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी नम्बर 125 रकबा 0.40 है0 आराजी नम्बर 130 रकबा 0.16 है0 आराजी नम्बर 179 रकबा 0.38 है0 आराजी नम्बर 188 रकबा 0.29 है0 आराजी नम्बर 190 रकबा 0.20 है0 आराजी नम्बर 192 रकबा 0.15 है0 आराजी नम्बर 202 रकबा 0.05 है0 आराजी नम्बर 262 रकबा 3.02 है0 आराजी नम्बर 263 रकबा 0.26 है0 आराजी नम्बर 351 रकबा 0.24 है0 आराजी नम्बर 599/469 रकबा 0.51 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 5.66 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सामलाती खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 43 में स्थित भूमि वादीगण की पैतृक सत्पति है जो वतर्मान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है जिसके सम्बन्ध में वादी एवं विपक्षी कमांक 1 व 2 के मध्य उक्त भूमि को लेकर काफी विवाद हुआ जिसको लेकर विभिन्न न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज हुए प्रतिवादी कमांक 1 वादीगणों पिता है जो प्रतिवादी कंमाक 1 के प्रथम श्रेणी के वारिस है फिर भी 32—33 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण छोटे—छोटे थे तब उनकी माता कचंन देवी को घर से मारपीट कर निकाल दिया तब से प्रतिवादी कमांक 1 की पत्नि और वादीगण की माता अपने पिहर गांव डेलाना रह रहे है विपक्षी कमांक 1 के द्वारा सारी भूमि पर कब्जा कर वादीगणों को महरूम कर रखा है और प्रतिवादी कमांक 1 उक्त विवादित भूमि को बेचने पर आमाद है और उसके साथ साथ वादी कमांक 1 ने भरण पोषण का भी एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड कार्यालय में पेश कर रखा है और प्रतिवादी अपने बाहुबल से वादीगणो को बेदखल करना चाहता है जिससे वादीगणो का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगणो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वादीगणो द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये समन तलब किया जाने पर उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी कमांक 1 व 2 की और प्रतिवाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगणो के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा चाकरी कभी नही है और प्रतिवादी नारायणी ने ही जमकु के देहान्त होने तक उसकी सेवा एवं उसके बाद किशनलाल की सेवा चाकरी करती चली आ रही है। वादीगणो के द्वारा प्रतिवादी 1 की सेवा नही करने से प्रतिवादी कमांक 1ने अपने नाम की भूमि प्रतिवादी कमांक 2 के पक्ष में रिलीज डीड कर दी उसको लेकर वादी और प्रतिवादी कमांक 1 व 2 के मध्य काफी विवाद चला सिविल न्यायालय गंगापुर मे भी प्रकरण संख्या 50/15 एवं एक अन्य प्रकरण 20/15 चले थे जिसमें सहमति के आधार पर रिलीज डीड पंजीयन को निरस्त कराया गया और भमि पुनः वादी कमांक 1 व 2 के नाम सयुक्त खातेदारी में दर्ज हो गई उसी दौरान प्रतिवादी 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति से विभाजन भी करा लिया जिसके आधार पर प्रतिवादी कमांक 1 के नाम 2.83 है0 भूमि व प्रतिवादी कमांक 2.83 है भूमि जरिये अन्तकाल नम्बर 178 के जरिये दिनांक 28.05.2018 को दर्ज हो चुकी है।

उक्त प्रकरण आज दिनांक 28.11.2019 को पेश हुआ और इसी के साथ प्रतिवादी कमांक 1 की और से प्रस्तुत भरण पोषण का वाद भी प्रस्तुत हुआ जिसमें दोनो पक्ष विपक्ष मय अधिवक्ता के उपस्थित हुए दोनो पत्रावलियो में अधिवक्ताओ के द्वारा वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपना अपना पक्ष रखा दोनो पक्षो का पक्ष दोनो पत्रावलियो में वर्णित तथ्यो पर गंभीरता से सुना समझा और फिर सबसे पहले विपक्षी कमांक 1 से चर्चा कर समझाईस की गई उसके बाद इस प्रकरण के वादीगणो से चर्चा कर समझाईस की गई और अन्त में दोनो पक्षो को अवगत कराया कि पिछले 30–32 वर्षो सें आपके विवाद चल रहा है और दोनो पक्ष 1 ही परिवार के होकर पिता पुत्र है और परिवार में छोटी मोटी बात हो जाती है उनको लेकर के परिवार के बीच में दीवार खड़ी नही करना चाहिए प्रतिवादी कमांक 1 के द्वारा कहा कि मेरी काफी उम्र हो चुकी है शारिरीक और आर्थिक स्थिति अच्छी नही है वृद्वावस्था में मेरा भरण पोषण और सेवा की आवश्कता है जिस पर वादीगणो से चर्चा की गई ओर वादी गणो को समझाईस की गई परिवार में विवाद होन से रिश्ते खतम नही होते है प्रतिवादी कमांक 1 आपके क्या लगते है जिस पर वादीगणों के द्वार कहा गया कि यह हमारे पिता है इससे स्पष्ठ प्रमाणित है कि वादी और प्रतिवादी कमांक 1 का रिश्ता पिता पुत्र का है दोनो पक्षो को पीठासीन अधिकारी द्वारा समझाईस की गई वादपत्र में वर्णित भूमि वादीगणों की पैतृक और मोरूसी जायदाद है जिससे वादीगणो का हक है कानुनन वादीगण वाद पत्र में वर्णित भूमि के हकदार है वाद कभी भी डिक्री योग्य है जिससे डिकी होगा किन्तु इस प्रकरण को लम्बा खिचने पर दोनो पक्षो को आर्थिक, शारिरीक, सामाजिक और मानसिक नुकसान हुआ है और आगे भी हो सकता है इस पर दोनो पक्ष अपने अधिवक्ताओं से चर्चा कर अधिवक्ताओं की समझाईस पर आपसी रजामन्दी से प्रकरण का निस्तारण करने पा सहमत हो गये।

प्रकरण का निस्तारण के सम्बन्ध में प्रतिवादी कमांक 1 को कहा गया कि पिछले 32 वर्षो से वादीगण अलग है और आप इनसे भरण पोषण चाह रहे है और भूमि आपके पास है ऐसी स्थिति में यह भरण पोषण कहा से देंगे इस पर विपक्षी कमांक 1 ने कहा की मेरे नाम भूमि पैतृक है जिसका मेने प्रतिवादी कमांक 2 के मध्य बंटवारा होने के बाद मेरे नाम दर्ज है उसमें वादीगणो को हक हिस्से अनुसार भूमि दे दी जावें तो मुझे कोई आपत्ति नही है और वादीगणो को मौके पर समझाईस की गई आज से ही आप अपने पिता को अपने पास रखे इनकी सेवा करे इनको किसी प्रकार की परेशानी नही हो यह ध्यान रखें इस पर दोनो पक्ष सहमत हो गये ओर इसी अनुसार दोनो पत्रावलियों के निस्तारण हेतु मय अधिवक्ता सहमत हुए।

उपरोक्त विवरण के अनुसार मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादीगणों एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विवादित भूमि जो वर्तमान में ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला के जमाबन्दी रोटेशन सवतं 2973 से 2076 के खाता संख्या 43 पर जरिये नामान्तरकरण 178 दिनांक 28.05.2018 को स्वैच्छिक बंटवारा से किशनालाल पिता रामू ब्राम्हण के नाम दर्ज आराजी संख्या 188 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 190 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 192 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 179 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 202 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 638/262 रकबा 1.26 है0, कुल किता 6 रकबा 2.83 है0 भूमि में वादीगणों को 3/4 का सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उक्त प्रकरण में वादीगणों का वाद स्वीकार कर इस प्रकार की डिक्री जारी की जाती है कि वादीगणों एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विवादित भूमि जो वर्तमान में ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला के जमाबन्दी रोटेशन सवतं 2973 से 2076 के खाता संख्या 43 पर जरिये नामान्तरकरण 178 दिनांक 28.05.2018 को स्वैच्छिक बंटवारा से किशनालाल पिता रामू ब्राम्हण के नाम दर्ज आराजी संख्या 188 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 190 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 192 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 179 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 202 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 638/262 रकबा 1.76 है0, कुल किता 6 रकबा 2.83 है0 भूमि में वादीगणों को 3/4 का सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेंष 1/4 प्रतिवादी कमांक 1 का बदस्तुर जमाबन्दी रहेगा उक्तानुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 35 / 2018 (2018 / 00087) वाद पत्र

1. लादुलाल उर्फ हजारी आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मदनलाल आत्मज किशनलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भगवती पुत्री किशनलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. किशन आत्मज रामू ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा हाल निवासी टीपुनाड़ी तहसील सहाड़ा जिलाभीलवाड़ा
2. नारायणी पुत्री रामू ब्राहम्ण पत्नि मांगीलाल हाल निवासी टीपुनाड़ी तहसील सहाड़ा जिलाभीलवाड़ा
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबन्धक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,188,53 रा0टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगणों का वाद स्वीकार कर इस प्रकार की डिक्री जारी की जाती है कि वादीगणों एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विवादित भूमि जो वर्तमान में ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला के जमाबन्दी रोटेसन सवतं 2973 से 2076 के खाता संख्या 43 पर जरिये नामान्तरकरण 178 दिनांक 28.05.2018 को स्वैच्छिक बंटवारा से किशनालाल पिता रामू ब्राम्हण के नाम दर्ज आराजी संख्या 188 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 190 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 192 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 179 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 202 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 638 / 262 रकबा 1.76 है0, कुल किता 6 रकबा 2.83 है0 भूमि में वादीगणों को 3 / 4 का सह खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है शेंष 1 / 4 प्रतिवादी कमांक 1 का बदस्तुर जमाबन्दी रहेगा उक्त अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्जे की जावें इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.04 11:59:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: